

Bill No. 23 of 2012

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION)
(AMENDMENT) BILL, 2012

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION)
(AMENDMENT) BILL, 2012**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

- (i) in clause (a), for the existing expression “twenty three thousand rupees”, the expression “thirty three thousand rupees” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and
- (ii) in clause (b), for the existing expression “twenty one thousand rupees”, the expression “thirty thousand rupees” shall be

substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression “1st August, 2009”, the expression “1st April, 2012” shall be substituted.

3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In section 3-A of the principal Act,-

- (a) for the existing expression “1st August, 2009”, the expression “1st April, 2012” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “twenty thousand rupees”, the expression “thirty thousand rupees” shall be substituted.

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In section 4 of the principal Act, for the existing expression “ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009”, the expression “fifteen thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2012” shall be substituted.

5. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-A of the principal Act, for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-

“(1) With effect from 1st April, 2012 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand five hundred per mensem and an additional pension of rupees one thousand per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as :-

- (i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
- (ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
- (iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or
- (iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
- (v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.”.

6. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- The existing provisions of section 4-C of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after the existing sub-section (1) so renumbered,-

(i) the following explanations shall be added with effect from 28th April, 2010, namely:-

“Explanation-I.- For the purpose of this section ‘last drawn pension’, in respect of a member of the Legislative Assembly who had died or resigned before the expiry of his term of his office shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of his death or, as the case may be, resignation, and in respect of an Ex-member who did not draw pension before his death, shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of expiry of his last term of office.

Explanation-II.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.”; and

(ii) the following sub-section shall be added, namely:-

“(2) With effect from 1st April, 2012 every person entitled to family pension under this section, subject to rules, if any, made in this behalf by the State Government, shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the State Government.”.

7. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1)-

(a) for the existing expression “1st August, 2009”, the expression “1st April, 2012”;

- (b) for the existing expression “twenty two thousand rupees”, the expression “thirty thousand rupees”; and
- (c) for the existing expression “twenty thousand rupees” the expression “twenty seven thousand rupees”,

shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2)-

- (a) for the existing expression “1st August, 2009”, the expression “1st April, 2012”; and
- (b) for the existing expression “twenty thousand rupees”, the expression “thirty thousand rupees”,

shall be substituted.

8. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

- (a) for the existing expression “1st August, 2009”, the expression “1st April, 2012”;
- (b) for the existing expression “twenty two thousand rupees”, the expression “thirty thousand rupees”; and
- (c) for the existing expression “twenty thousand rupees” the expression “thirty thousand rupees”,

shall be substituted.

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-

- (a) for the existing expression “seven hundred rupees”, the expression “one thousand rupees”; and
- (b) for the existing expression “eight hundred rupees” the expression “one thousand two hundred fifty rupees”,

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

10. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In the existing section 8-B of the principal Act ,-

- (a) in sub-section (1), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012;
- (b) in sub-section (2), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and
- (c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression “rupees one lakh”, the expression “rupees one lakh fifty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

11. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression “thirty thousand”, the expression “forty thousand” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

12. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (iii) of sub-section (1) of section 9 of the principal Act,-

- (i) for the existing expression “fifty thousand rupees”, the expression “eighty thousand rupees” shall be substituted; and
- (ii) for the existing expression “the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998 (Act No. 5 of 1998)”, the expression “1st April, 2012” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the rise in prices, the salary, allowances and facilities provided to the members and officers of the Rajasthan Legislative Assembly and pension and facilities of the pensioner members and family pension and medical facility to the family pensioners appear to be inadequate, therefore it is proposed to amend sections 3, 3-A, 4, 4-A, 4-C, 5, 6, 8, 8-B, 8-C and 9 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 for the purpose of making suitable increase in salary, allowances, pension and facilities etc..

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(30) विधि/2/2012 जयपुर,, दिनांक 20 अप्रैल, 2012
प्रेषक: शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलक्षियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to amend sections 3, 3-A, 4, 4-A, 4-C, 5, 6, 8, 8-B, 8-C and 9 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956. The amendments in these sections will involve a non-recurring expenditure of Rs. 49, 50, 000/- and a recurring expenditure of about Rs. 9, 48, 17, 750/- per annum.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-clause (ii) of clause 6 of the Bill, which seeks to add sub-section (2) in section 4-C in the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956, if enacted, shall empower the State Government to make rules subject to which a person entitled to family pension under that section shall be entitled for reimbursement of expenditure on account of medical treatment.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LEGISLATIVE
ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND
PENSION) ACT, 1956**

(Act No. 6 of 1957)

XX XX XX XX

3. Salaries of Officers.- (1) There shall be paid-

- (a) a salary of twenty three thousand rupees per mensem to the Speaker, and
- (b) a salary of twenty one thousand rupees per mensem to the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the State.

(2) The salary fixed by sub-section (1) shall be payable to the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he is chosen as such Speaker or Deputy Speaker under Article 178 of the Constitution which may be later, and until he vacates or resigns or is removed from his office as such Speaker or Deputy Speaker in accordance with law.

3-A. Sumptuary Allowance.- In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st August, 2009 to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.

4. Salaries of Members.- Every member of the Legislative Assembly of the State shall be entitled to receive a salary of ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which the declaration of the result of his election to the Rajasthan Legislative Assembly is published in the Official Gazette under section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (Central Act 43 of 1951), whichever may be later, until he ceases to be such member:

Provided that no member shall claim such salary unless he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under Article 188 of the Constitution :

Provided further that such salary shall be liable to such deductions for continued absence or other cause as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf.

4-A. Pension and other facilities.- (1) With effect from 1st August, 2009 there shall be paid per mensem to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly -

- (i) for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees five thousand;
- (ii) for any period beyond five years but upto ten years, whether continuous or not, a pension of rupees six thousand;
- (iii) for any period beyond ten years but upto fifteen years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand;
- (iv) for any period beyond fifteen years but upto twenty years, whether continuous or not, a pension of rupees eight thousand;
- (v) for any period beyond twenty years but upto twenty five years, whether continuous or not, a pension of rupees nine thousand;
- (vi) for any period beyond twenty five years but upto thirty years, whether continuous or not, a pension of rupees ten thousand ;
- (vii) for any period beyond thirty years but upto thirty five years, whether continuous or not, a pension of rupees eleven thousand;
- (viii) for any period beyond thirty five years but upto forty years, whether continuous or not, a pension of rupees twelve thousand;
- (ix) for any period beyond forty years but upto forty five years, whether continuous or not, a pension of rupees thirteen thousand;

- (x) for any period beyond forty five years but upto fifty years, whether continuous or not, a pension of rupees fourteen thousand;
- (xi) for any period beyond fifty years but upto fifty five years, whether continuous or not, a pension of rupees fifteen thousand;
- (xii) for any period beyond fifty five years but upto sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees sixteen thousand;
- (xiii) for any period beyond sixty years, whether continuous or not, a pension of rupees seventeen thousand:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided further also that where any person entitled to pension under this section is also entitled to any pension as the President, Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or of any other State Legislature or the Metropolitan Council of Delhi or from the Central Government, or any State Government, or any corporation owned or controlled by the Central Government, or any State Government or any local authority, under any law or otherwise, then,-

- (a) Where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is equal to or more than seventeen

thousand rupees per mensem such person shall not be entitled to any pension under this sub-section; and

- (b) Where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise is less than seventeen thousand rupees per mensem, such person shall be entitled to receive pension under this sub-section in addition to such other pension subject, however, that the aggregate of both the pension shall not exceed seventeen thousand rupees per mensem.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of 5 years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be 5 years.

Explanation III.- In computing the aggregate number of years for the purpose of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Member of Parliament or as a Member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Ajmer shall be included in the period for which a person has served as a Member of the Rajasthan Legislative Assembly.

Explanation IV.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

- (i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
- (ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
- (iii) a Minister or Deputy Minister of the Government of India or any State; or

- (iv) The Chairman or Deputy Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
- (v) The Speaker or Deputy Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State or as a Member of the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966.

Explanation V.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation VI.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) to (3)	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX

4-C. Family pension to the spouse of the Ex-member.- The spouse of a deceased Ex-member shall be entitled with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees two thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:

Provided that –

- (i) if the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any other source, then,-
 - (a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family

pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and

(b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension;

- (ii) if the spouse of such member remarries, he or she shall not be paid any pension under this section; and
- (iii) where more than one wife has survived such member, the amount of family pension payable under this section shall be paid to such wives in equal shares.

XX

XX

XX

XX

5. Salaries of Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip.- (1) There shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a salary of twenty thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip.

(2) In addition to the salary payable sub-section (1) there shall be paid, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.

Explanation.- For the purpose of this section "Government Chief Whip" or "Deputy Government Chief Whip" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is Chief Whip or Deputy Chief Whip for the time being in the Assembly of the party in Government having the greatest numerical strength in that Assembly.

(3) XX XX XX XX

6. Salary and Sumptuary Allowance of Leader of the Opposition.- (1) There shall be paid to the Leader of the Opposition, with effect from 1st August, 2009 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of twenty two thousand rupees and a sumptuary allowance of twenty thousand rupees per mensem.

Explanation.- (i) In this Act "Leader of the Opposition" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is, for the time being, the Leader in that Assembly of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength in that Assembly and recognized as such by the Speaker.

(ii) Where there are two or more parties in opposition to the Government having the same numerical strength, the Speaker shall, having regard to the status of the parties, recognize any one of the leaders of such parties as the Leader of the Opposition for the purposes of this Act and such recognition shall be final and conclusive.

XX XX XX XX

8. Allowances of members.- (1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, every member of the Legislative Assembly shall be entitled to receive, for his attendance required in connection with his duties, as such member, –

(a) travelling allowance at the prescribed rates in accordance with rules made in that behalf, and

(b) daily allowance at the rate of seven hundred rupees per day within the State and eight hundred rupees per day outside the State subject, however, that such allowance shall not be admissible for such period as is in excess of fifteen days in a calendar month except when the Legislative Assembly is in session:

Provided that no sum on account of any such allowance shall be paid to a member before he has made and subscribed the oath or affirmation of his office prescribed by Article 188 of the Constitution:

Provided further that until rates are prescribed under clause (a), travelling allowances shall be payable thereunder to the members of the Legislative Assembly at the rates admissible to Government servants of the first class.

(2) to (4)	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	

8-B. Free Railway travelling facilities to Members.-(1) Every member shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees one lakh in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

(2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-section (1) is less than rupees one lakh, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh shall be carried forwarded in next financial year or years and the member shall be entitled to utilize such amount at any time before expiry of his term as member.

(3) Where a Member entitled to received travelling allowance under section 8, chooses to travel by air, ship or steamer, he shall be entitled to

surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to the difference between the air, ship or steamer fare actually paid by him and the railway fare to which he is entitled under that section and receive the cash equivalent of the facility so surrendered:

Provided that aggregate amount so paid either as railway fare or in respect of air, fare or as the difference between the air fare and the railway fare or as or in respect of any of them shall not exceed rupees one lakh within a financial year.

Explanation.- For the purposes of this section, a member shall include a Minister as defined in the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) and an Officer of the Legislative Assembly for the State as defined in this Act.

8-C. Constituency Allowance.- (1) A member shall be entitled to receive the Constituency Allowance of rupees thirty thousand per month.

(2) XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

9. Amenities.- (1) Every member of the Legislative Assembly shall be entitled to such medical facilities for himself and for members of his family and to such housing facilities as may be prescribed.

Explanation.- For the purpose of sub-section (1), housing facility shall include-

- (i) xx xx xx
- (ii) grant of house rent allowance at such rate and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed :

Provided that such house rent allowance shall be admissible to members residing at Jaipur in the accommodations owned or hired by them with effect from the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension)(Amendment)

Act, 1987 or from the date of occupations of such accommodation, whichever is later; and

- (ii-a) allotment of Government residential accommodation on rent at Jaipur for such period as may be prescribed;
- (ii-b) supply of furniture, electricity and water, during the period of allotment of Government residential accommodation under clause (ii-a) in accordance with the provisions of this section.
- (iii) Supply of furniture worth fifty thousand rupees, free of charge, to members residing at Jaipur in the Government accommodations or in the accommodation owned or hired by them with effect from the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998 (Act No. 5 of 1998) or from the date of occupations of such accommodation, whichever is later.

(2) to (3)	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty.

(SHANTI DHARIWAL, Minister Incharge)

2012 का विधेयक संख्या-23

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिङ्घियां और पेंशन)

(संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरस्थापित किया जायेगा)

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तेईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीनीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इककीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 की धारा 3-क का संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 3-क में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" और अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) 1 अप्रैल, 2012 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार पांच सौ रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमास संदर्भ की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है :-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक ; या
- (ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य ; या
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री ; या
- (iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति ; या
- (v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।"

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं.6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग में विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्,-

(i) 28, अप्रैल, 2010 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण-I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के संबंध में, जो अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, "अंतिम आहरित पेंशन" वह रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदावधि समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता।

स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।"; और

(ii) निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियम, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2012, से चिकित्सीय उपचार के मद्दे किसी व्यय की ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो राज्य सरकार की सेवाओं के सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) उप-धारा (1) में -

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012";
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये"; और
- (ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) उप-धारा (2) में -
- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रैल, 2012"; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रैल, 2012";
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये"; और
- (ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-

- (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "सात सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये"; और
- (ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ पचास रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ख में,-

- (क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति " 1 अप्रैल, 2010 से" हटायी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं.5) के प्रारम्भ की तारीख " के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाएं और पेंशनभोगी सदस्यों की पेंशन और सुविधाएं तथा कौटुम्बिक पेंशनधारियों को उपलब्ध कौटुम्बिक पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त प्रतीत होती हैं, इसलिए वेतन, भत्तों, पेंशन और सुविधाओं इत्यादि में वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 3-क, 4, 4-क, 4-ग, 5, 6, 8, 8-ख, 8-ग और 9 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

(शान्ति धारीवाल)

प्रभारी मंत्री ।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(30) विधि/2/2012 जयपुर,, दिनांक 20 अप्रैल, 2012

प्रेषक: शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 3-क, 4, 4-क, 4-ग, 5, 6, 8, 8-ख, 8-ग और 9 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। इन धाराओं में संशोधनों से 49,50,000/- रुपये का अनावर्ती व्यय और लगभग 9,48,17,750/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

(शान्ति धारीवाल)

प्रभारी मंत्री ।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 6 का उप-खण्ड (ii), जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-ग में उप-धारा (2) जोड़ने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमत किया जाता है तो राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा जिनके अध्यधीन उस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति चिकित्सीय उपचार के मद्दे किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजित सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6) से लिये गये उद्धरण

xx

xx

xx

xx

3. अधिकारियों के वेतन.- (1) राज्य की विधानसभा के -

- (क) अध्यक्ष को प्रति माह तेईस हजार रुपये वेतन, तथा
- (ख) राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रति माह इक्कीस हजार रुपये वेतन, दिया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित वेतन अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष को, 1 अगस्त, 2009 से या उस दिनांक से जिसको यह संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया हो, जो भी बाद में हो, और तब तक जब तक कि वह विधि के अनुसार उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं करे अथवा नहीं त्यागे या उसे हटाया नहीं जाये, देय होगा।

3-क सत्कार भूत्ता.- धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 1 अगस्त, 2009 से बीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भूत्ता संदर्भ संदर्भ संदर्भ संदर्भ किया जायेगा।

4 सदस्यों के वेतन.- राज्य की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से, जिसको राजस्थान विधान सभा के लिए उसके चुनाव के परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 67 के अधीन राज-पत्र में प्रकाशित की हो, जो भी बाद में हो, जब तक वह ऐसा सदस्य रहे तब तक दस हजार रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु कोई सदस्य जब तक वह संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ न ले ले या उसका प्रतिज्ञान कर दे और उन पर हस्ताक्षर न कर दे ऐसे वेतन का दावा नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे वेतन में से सतत अनुपस्थिति या अन्य कारण से ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जिनका इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में उपबंध किया जाये।

4-क पेंशन और अन्य सुविधाएं- (1) 1 अगस्त, 2009 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में,-

- (i) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पांच हजार रुपये की पेंशन;
- (ii) निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, छह हजार रुपये की पेंशन;
- (iii) निरन्तर या अन्यथा दस वर्ष से अधिक किन्तु पन्द्रह वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार रुपये की पेंशन;
- (iv) निरन्तर या अन्यथा पन्द्रह वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, आठ हजार रुपये की पेंशन;
- (v) निरन्तर या अन्यथा बीस वर्ष से अधिक किन्तु पच्चीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, नौ हजार रुपये की पेंशन;
- (vi) निरन्तर या अन्यथा पच्चीस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, दस हजार रुपये की पेंशन;
- (vii) निरन्तर या अन्यथा तीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, ग्यारह हजार रुपये की पेंशन;
- (viii) निरन्तर या अन्यथा पैंतीस वर्ष से अधिक किन्तु चालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, बारह हजार रुपये की पेंशन;
- (ix) निरन्तर या अन्यथा चालीस वर्ष से अधिक किन्तु पैंतालीस वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, तेरह हजार रुपये की पेंशन;
- (x) निरन्तर या अन्यथा पैंतालीस वर्ष से अधिक किन्तु पचास वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, चौदह हजार रुपये की पेंशन;
- (xi) निरन्तर या अन्यथा पचास वर्ष से अधिक किन्तु पचपन वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पन्द्रह हजार रुपये की पेंशन;
- (xii) निरन्तर या अन्यथा पचपन वर्ष से अधिक किन्तु साठ वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सोलह हजार रुपये की पेंशन;
- (xiii) निरन्तर या अन्यथा साठ वर्ष से अधिक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सत्रह हजार रुपये की पेंशन,

प्रतिमास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति की ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन का हकदार होने के साथ ही किसी भी विधि के अधीन या अन्यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक होने से या सांसद् या किसी अन्य राज्य विधान-मण्डल या दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य होने से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकरण से किसी पेंशन का भी हकदार होता है, तो, -

- (क) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और
- (ख) जहां पेंशन की रकम, जिसके लिए वह ऐसी किसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त, इस उप-धारा के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा तथापि इस बात के अद्यथीन रहते हुए कि दोनों पेंशनों का योग सत्रह हजार रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण ।- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कुल वर्षों की संख्या की संगणना करने में किसी व्यक्ति की राजस्थान विधान सभा की सदस्यता की अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित की जायेगी जिस अवधि में वह संसद अथवा भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा का सदस्य रहा हो।

स्पष्टीकरण IV- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है :-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या
- (ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या
- (iv) राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या
- (v) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण VI.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता

है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) से (3)

xx

xx

XX

XX

XX

XX

XX

4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन।- किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अगस्त, 2009 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्त -

(i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,-

(क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और

(ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;

(ii) यदि ऐसे सदस्य के पति या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदर्भ नहीं की जायेगी; और

(iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदर्भ की जायेगी।

xx

xx

xx

xx

5. सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक के वेतन.- (1) 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को बाइस हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन संदर्भ संदर्भ किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को बीस हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदर्भ किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिये "सरकारी मुख्य सचेतक" या "सरकारी उप मुख्य सचेतक" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो इस सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का तत्समय, मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक है।

(3)	xx	xx	xx
-----	----	----	----

6. विपक्ष के नेता का वेतन और सत्कार भत्ता.- (1) विपक्ष के नेता को 1 अगस्त, 2009 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, बाईस हजार रुपये वेतन और बीस हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रति मास संदर्भ किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- (i) इस अधिनियम में "विपक्ष का नेता" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो उस विधानसभा में, तत्समय, सरकार के विपक्ष के सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले दल का और अध्यक्ष द्वारा उक्त रूपेण मान्यता प्राप्त, नेता है।

(ii) जहां सरकारी के विपक्ष में, समान संख्या बल रखने वाले दो या अधिक दल हों वहां अध्यक्ष, दलों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुये, ऐसे दलों में से किसी भी एक नेता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

xx	xx	xx	xx
----	----	----	----

8. सदस्यों के भत्ते.- (1) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन जो विहित किये जायें, विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिए, -

(क) उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार विहित दरों पर यात्रा भत्ता, और

(ख) राज्य के भीतर सात सौ रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर आठ सौ रुपये प्रतिदिन की दर पर दैनिक भत्ता, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसा भत्ता सिवाय तब के जबकि विधान सभा सत्र में हो, ऐसी कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी एक कलेंडर मास में पन्द्रह दिन से अधिक पड़ती हो,

प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा विहित अपने पद की शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उसे हस्ताक्षरित करने से पहले, ऐसे किसी भी भत्ते के रूप में किसी सदस्य को किसी भी राशि का संदाय नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि जब तक खण्ड (क) के अधीन दरों विहित न की जायें तक तक विधान सभा के सदस्यों को इसके अधीन यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर संदेय होगा।

(2) से (4)	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX

8-ख सदस्यों को निःशुल्क रेल यात्रा सुविधाएँ-- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, 1 अप्रैल, 2010 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम है वहां, एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य हवाई जहाज, पोत या स्टीमर द्वारा यात्रा करना चाहे एवं उप-धारा (1) द्वारा दी गयी

सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने का, जो कि उसके द्वारा वास्तव में संदर्भ किये गये हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और उस रेल किराये के, जिसका कि वह उस धारा के अधीन हकदार है, अन्तर के समतुल्य होगा;

परन्तु रेल किराये के रूप में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये के संबंध में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और रेल किराये के बीच में अन्तर के रूप में या उनमें किसी के भी रूप में संबंध में इस प्रकार संदर्भ कुल रकम किसी एक वित्तीय वर्ष के भीतर एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनार्थ सदस्य में मंत्री वेतन अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं 43) में यथा परिभाषित मंत्री और इस अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य विधानसभा का अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

8-ग. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.- (1) सदस्य प्रति मास तीस हजार रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2)	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	

9. सुविधाएं.- (1) विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये ऐसी चिकित्सा सुविधाओं और ऐसी आवास सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जायें।

स्पष्टीकरण.- उप धारा (1) के प्रयोजनार्थ आवास-सुविधा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(i)	XX	XX	XX	XX
(ii)	ऐसी दर तथा ऐसी शर्त एवं निर्बन्धों के अद्यधीन जैसे विहित किये जायें गृह किराये भत्ते की मंजूरी :			

परन्तु ऐसा गृह किराया भत्ता जयपुर में अपनी या किराये पर ली गई वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्यों को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिंग्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ की तारीख से अथवा ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, अनुज्ञेय होगा; तथा

(ii-क) ऐसी कालावधि तक, जो विहित की जाये, जयपुर में किराये पर सरकारी आवास सुविधा का आबंटन;

(ii-ख) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार खण्ड (ii-क) के अधीन सरकारी आवास सुविधा के आबंटन की कालावधि के दौरान फर्नीचर, विद्युत और जल का प्रदाय।

(iii) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपनी या किराये पर ली गयी वाससुविधा में निवास करने वाले सदस्यों को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1988 का अधिनियम सं. 5) के प्रारम्भ की तारीख से या ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी बाद में हो, पचास हजार रुपये मूल्य के फर्नीचर का निःशल्क प्रदाय।

(2) से (3) XX XX XX

xx xx xx xx

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिंग्धियां और पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,

विशेषाधिकारी।

(शांति धारीवाल – प्रभारी मंत्री)